संख्या-03/2023/312/47-का-2-312एलसी/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक: 19 जुलाई, 2023**

विषय:- **भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता** के संबंध में।

महोदय,

कृपया कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021, दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या 656/2020(रिट-ए) श्री विकास एवं 80 अन्य बनाम उ0प्र0 राजय में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के ओदश दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के अनुपालन में भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता के संदर्भ में निम्नवत आदेश निर्गत किये गये है:-

''जहॉ कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो वहॉ चयन प्रक्रिया प्रारम्भ पूर्व ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरान्त ही चयन हेतु अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। चयनकर्ता अधिकरणों यथा-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि भी पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें।''

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के प्रावधानों के दृष्टिगत कतिपय विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नियमावली में विहित समकक्ष अर्हता के आधार पर प्रेषित अधियाचनों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। इसे रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ करने में विलम्ब हो रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये है:-

(1)- ऐसे प्रकरणों में जहॉ तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहॉ विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2)- उक्त बिन्दु संख्या-1 से आच्छादित प्रकरणों को छोडकर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गई है, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

(1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविधालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियॉ स्नातक के रूप में मान्य होगी।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठयक्रमों में प्रदान की गई स्नातक-स्तर की उपाधियॉ मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जायेंगे।

(3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग/ अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

4- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष** निर्धारित किये जाने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-03/2023/312(1)/47-का-2-312एलसी/2022,तद्दिनांक।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
निर्मेष कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।